न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प थोब

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 92/2015

वादीगण	व नाम	प्रतिवादीगण
1. गंगाकंवर पत्नी श्री गणपतसिंह 2. श्रीमती छगन कवंर पत्नी विशनसिंह 3. श्रीमती कुसुम्ब कंवर पत्नी जीवराजसिंह जाति राजपुत निवासी हाल थोब त. पचपदरा.		1. जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्रीरामसिंह राजपुत पेशा एड़वोकेट 2. शिवा पुत्र खेता जाति राईका निवासीयान थोब 3. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा

वाद हेतु बंटवाड़ा (तकासमा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

उपस्थित –

दिनांकः 23.05.2018

1. वादीगण स्वंय उपस्थित
2. प्रतिवादीगण स्वंय उपस्थित

निर्णय

वादीगण ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, सरहद मौजा थोब तहसील पचपदरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा सं. 194 रकबा 63 बीघा 08 बिस्वा अवस्थित है, उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में भूम के पुर्व खातेदार अमरा पुत्र खेता का 1/2 अर्थात आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 शिवा का 1/2 हिस्सा था, जिसमें से खातेदार अमरा पुत्र खेता राईका निवासी थोब ने वादीगण के पक्ष में अपने 1/2 हिस्से में से 4 बीघा भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 11.06.2007 को बेचान की, जिसमें रजिस्ट्री में माफिक पड़ौस कब्जा सुपुर्द किया गया। इसी तरह खातेदार अमरा पुत्र खेता निवासी थोब द्वारा प्रतिवादी सं. 1 जोगेन्द्रसिंह एड़वोकेट के पक्ष में दिनांक 05.10.2007 को जरिये रजिस्ट्री 04 बीघा भूमि माफिक बेचान पड़ौस की भूमि का नामान्तरणकरण व जमाबन्दी में वादीगण प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज हुआ, एवं माफिक परिशिष्ट 'अ' में अमरा के 1/2 हिस्से सी भाग में वादीगण का ए भाग व प्रतिवादी सं. 1 का बी भाग माफिक रजिस्ट्री पड़ौस कब्जा काश्त निरन्तर आज दिन तक है, खातेदार अमरा पुत्र खेता राईका जो प्रतिवादी सं. 2 का सगा भाई है, उसका देहान्त हो चुका है, एवं अमरा लाऔलाद के फोत हुआ, व उसके कोई वारिस न होने से खातेदारी में से नाम हटा दिया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सहसयुक्त कब्जा काश्त अपने अपने हिस्से अनुसार कायम है, रेकर्ड में बंटवाड़ा नही होने से हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, तथा प्रतिवादी सं. 2 वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल हस्तक्षेप करने लगा जिससे वर्तमान बंटवाड़ा का वाद पत्र किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन् तलब किया, बाद तामिल प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 की ओर से जबावदावे प्रस्तुत किये, प्रतिवादी सं. 01 ने काउन्टर क्लेम पेश कर वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार किया, और माफिक परिशिष्ट अ मे भाग बी पर 4 बीघा भूमि बाई मिटस एण्ड़ बाउन्डस बंटवाड़ा करने का निवेदन किया, तथा प्रतिवादी सं. 02 शिवा ने जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नही है, और न ही उनके द्वारा काश्त की जाती रही है, परिशिष्ट 'अ' गलत तथ्यो का पेश किया है, वादीगण ने वाद पत्र का हेतुक कब उत्पन्न हुआ, का कोई उल्लेख अपने वाद पत्र में उल्लेख नही किया है, जिससे वाद पत्र वादीगण विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत थोब में सुनवाई हेतु पेश हुई, जिसमें वाद पत्र के पक्षकारान् वादीगण एवं प्रतिवादीगण केम्प कोर्ट में उपस्थित आये। केम्प कोर्ट में दोनो पक्षो ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा होना तय कर निवेदन किया कि माफिक राजीनामा व परिशिष्ट 'व' वाद पत्र स्वीकार कर खसरा सं. 194 रकवा 63 बीघा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प थोब

Scanned by CamScanner

08 विस्वा मौजा थोब का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवाड़ा राजीनामा में वर्णित हिस्से अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कराने हेतु पक्षकारान् सहमत है।

हमने उपस्थित पक्षो के निवेदन को सुना, पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन व अध्ययन किया।

चुँकी प्रकरण में दोनो पक्षो का आपस में राजीनामा हो चुका है, और दोनो पक्षो ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा होना तय किया कि माफिक राजीनामा व परिशिष्ट 'ब' अनुसार वाद पत्र स्वीकार कर खसरा सं. 194 रकबा 63 बीघा 08 विस्वा मौजा थोब का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवाडा राजीनामा में वर्णित हिस्से एवं संलग्न नक्शा अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कराने हेतु पक्षकारान् सहमत होकर राजीनामा पर हस्ताक्षर किये है, राजीनामा में वादीगण को राजेन्द्रसिंह राठौड़ सदस्य पंचायत समिति कल्याणपुर ने पहचान दी तथा प्रतिवादी सं. 01 जोगेन्द्रसिंह स्वंय अधिवक्ता है, तथा प्रतिवादी सं. 02 शिवा को उनके अधिवक्ता ने पहचान दी है। दोनो पक्षो ने माफिक राजीनामा व परिशिष्ट 'ब' अनुसार वादपत्र स्वीकार कर बाई मिटस एण्ड़ बाउन्डस बंटवाड़ा करने का निवेदन किया।

बाद गौर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है, कि सरहद मौजा थोब तहसील पचपदरा में स्थित खसरा सं. 194 रकबा 63 बीघा 08 विस्वा मौजा थोब का माफिक राजीनामा व राजीनामा के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'ब' अनुसार बाई मिटस एण्ड़ बाउन्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्टा ट्रेस में राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'ब' नक्शा अनुसार प्रविष्टियाँ दर्ज की जावे। राजीनामा अनुसार वादीगण का हिस्सा मुख्य सड़क पर 132 फीट बराबर 2 जरीब, प्रतिवादी सं. 01 जोगेन्द्रसिंह का हिस्सा सड़क पर 132 फीट बराबर 2 जरीब रहेगा, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 02 का रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज तारीख 23.05.2018 को मजमे आम केम्प कोर्ट थोब में सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प थोब